

रुचि की अभिव्यक्ति

NFR1/21 DRM(C) कार्यालय

दिनांक 02/02/2021

रेल प्रशासन द्वारा "नए एवं अभिनव विचार एवं परिकल्पना योजना" के तहत कार्य करने हेतु रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है . इच्छुक व्यक्ति/संस्था/पंजीकृत फर्म आदि ऐसे कार्यों को करने हेतु अपने विचार एवं परिकल्पना रेल प्रशासन को प्रस्तुत कर सकते हैं जो कि रेल प्रशासन एवं प्रस्तावक के लिए परस्पर लाभदायी हों :-

जबलपुर स्टेशन पर निम्न लोकेशनों का वाणिज्यिक उपयोग :-

| क्र. | लोकेशन | एरिया sq.ft | आय हेतु प्रस्तावित सम्भावित कार्य |
|------|--|-------------|---|
| 1 | प्लेटफार्म क्र. 6 के नव निर्मित द्वितीय प्रवेश/निकास द्वार पर स्थित कान्कोर्स प्रांगण में उपलब्ध जगह कटनी एंड की तरफ | 12 x 26 | विविध वाणिज्यिक गतिविधिया यात्रियों को नवीनतम सुविधा देने के हिसाब से जिसको तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है (8 x 12 प्रति यूनिट) |
| 2. | प्लेटफार्म क्र. 6 के बाहर वेलनेस सेंटर के बगल में उपलब्ध जगह | 400 sq.ft | प्रोडक्ट डिस्प्ले यूनिट जिसमें 4 व्हीलर /2 व्हीलर / इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट आदि व्यावसायिक वस्तुओं की विक्री तथा प्रदर्शन |
| 3. | प्लेटफार्म क्र. 1 के बाहर बने श्वेताम्बरी अधिकारी विश्राम गृह को रिनोवेट /मेंटेन तथा आपरेट करना | - | वाणिज्य विज्ञापन , केटरिंग सुविधा , सोवैनियर शॉप तथा अन्य आय के स्रोत बढ़ाने के संबंध में अभिनव प्रस्ताव |

1. प्रस्ताव देने के पहले इन लोकेशनों का सर्वे प्रस्तावक द्वारा किया जा सकता है और सर्वे के आधार पर प्रस्ताव की डिजाइन , प्रारूप , योजना का विवरण प्रस्तुत करना होगा | प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर निविदा आमंत्रित की जाएगी , जिसका आवंटन वाणिज्य परिपत्र क्र. 2/17 , NINFRIS के आधार पर या खुली निविदा के माध्यम से किया जाएगा |
2. कार्य की अवधि न्यूनतम 1 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष तक हो सकती है |
3. प्रस्ताव के संबंध में अनुमानित वार्षिक लाइसेंस फीस लिखनी होगी |
4. प्रस्तावित कार्य के संबंध में समस्त व्यय प्रस्तावक को खुद वहन करना होगा |
5. प्रस्ताव के स्वीकार/अस्वीकार/परिवर्तन पर पूर्ण रूप से रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं प्रस्तावक पर बाध्यकारी होगा |
6. अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्रस्तावक को रेल सम्पत्ति जिस दशा में है उसी दशा में वापस करनी होगी |

उपर्युक्त आधार पर इच्छुक व्यक्ति/संस्था/पंजीकृत फर्म आदि अपने विचार एवं परिकल्पना रेल प्रशासन के समक्ष विस्तृत प्रस्ताव के रूप से दिनांक 15/02/21 तक प्रस्तुत कर सकते हैं |

इस सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के वाणिज्य शाखा में कार्यालयीन दिवस व समय में व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं. या प्रस्ताव से सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर सकते हैं |

देवेश सोनी
(मंडल वाणिज्य प्रबन्धक)
जबलपुर